प्रा. पत्र रेस्टोरेशन. 36/23

~~भारत सेघ V/S मै. हरि ऑयल मिल भरतपुर~~

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24 5/24 | वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रकरण, इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 5/6/2009 की पालना कराये जाने बाबत पेश किया गया है. इस प्रकरण में तहसीलदार भरतपुर को सुनना उचित पाते है। अतः आगामी तारीख पेशी पर तहसीलदार भरतपुर को उपस्थित होने हेतु पत्र जारी हो पत्रावली वास्ते बहस आयन्दा दिनांक 14 6/24 को पेश हो। <br> Sd/- <br> जिला कलक्टर <br> भरतपुर | |
| 14 06/24 | प्रार्थी की ओर से श्री० मनोज भारद्वाज का वकालतनामा पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार भरतपुर को आ.प. किया गया। तहसीलदार भरतपुर को पेशी पर उपस्थित आने हेतु कहा जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 05/07/24 को पेश हो। <br> Sd/- <br> जिला कलक्टर <br> भरतपुर | |
| 5 7/24 | प्रार्थी के वकील उपस्थित। उन्होंने बताया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पत्रावली दिनांक 28/6/23 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में खारिज कर दी गई थी। उक्त प्रकरण पत्रावली पुनः नम्बर पर लिए जाकर बहस सुने जाने की प्रार्थना की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल प्रकरण पत्रावली सं. 72/2021 उनवानी भारत संघ बनाम हरि ऑयल मिल दिनांक 28/6/23 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की गई है। प्रार्थी की प्रार्थना को देखते हुए न्यायहित में पत्रावली सं. 72/2021 पुनः नम्बर पर ली जाती है। प्रा. पत्र फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही पत्रा. 72/21 के साथ संलग्न रहे। <br> Sd/- <br> जिला कलक्टर <br> भरतपुर | |